

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,  
उत्तर प्रदेश।

आवंटन

आयोजनेत्तर-अनुदान सं०-14

तेरह अंको का कोड-2515000010300

सेवा मे,

आहरण वितरण अधिकारी,  
पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र०।

संख्या 1/शा०/19 /2016-1/08/2016 : लखनऊ: दिनांक 26 अप्रैल, 2016

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-पंचायतीराज निदेशालय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक उपसचिव, पंचायती राज उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-1002/33-3-2016-100(8)/2016, दिनांक 12 अप्रैल, 2016 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में वेतन भत्ता आदि मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निदेशालय के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु संलग्न विवरण के अनुसार रु० 54512000/- (रु० पाँच करोड़ पैतालीस लाख बारह हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:-

- 1- आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी०-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 2- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 3- जिला कार्यालयों को वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एक मुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेंजिंग स्वीकृत आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा। जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।
- 4- आवंटित की जा रही धनराशि का आवंटन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो, उन मामलों में व्यय के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 5- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी०-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 6- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स आफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
- 7- उपयुक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक -2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-पंचायतीराज निदेशालय के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
- 8- नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- 9- कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र बी०एम०-4 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी०एम०-4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
- 10- यदि बी०एम०-4 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होंगे।

11- यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।

12- एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

13- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप-मुख्य-लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनेत्तर शब्द अवश्य अंकित किया जाये जिसके लिये रबर की मोहर अधिक श्रेयस्कर होगी।

14- संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक लेखा एवं बजट अनुभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

1- कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंट आगामी माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

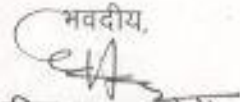
2- प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण दिनांक 10-02-2017 तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3- व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15-02-2017 तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4- वर्ष 2016-17 में समर्पण यदि कोई हो तो की सूचना दिनांक 20-02-2017 तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या- 65 पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,  
  
(अनिल कुमार देमले)  
निदेशक,

पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/शा0/19/1/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2-प्रमुख सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।

3-महालेखाकार सी0पी0 सी0-2 उ0प्र0 इलाहाबाद।

4-महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।

5-वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।

6-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

7-एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

  
(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,  
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

विशेष वर्ष:- 2016-2017  
आवक्य दिनांक:- 26/04/2016

1-sth-19-2016  
001-05-2016

प्रेषण संख्या:-  
आवंटन आदेश संख्या:-  
अनुदान संख्या:-  
सेवासीर्षक:-

१४ फ़रवरी को आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

२०१५ - २०१६ का वार्षिक कार्यवाही प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

13 - पंचांगी गज निदेशालय

(पुनर्विचार)

[illegible]

महायोग- (अभिमान आघटन)  
महायोग- (प्रणाली आघटन)

स्वयं पति कनोठ टिपलीस हाथ बाह इवम  
अपय पति कनोठ टिपलीस हाथ बाह इवम

मुन्नाम विच एव संवाधिकारी